छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 534 / 2006</u>

श्री रामअवतार शर्मा,
जूटमिल, रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

2. श्री संतोष कुमार देवांगन
नजूल अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::

(<u>दिनांक 03 अप्रेल 2007</u>)

श्री रामअवतार शर्मा निवासी रायगढ़ के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश दिनांक 17.08.2006 से असंतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 20–04–2006 को जन सूचना अधिकारी, कलेक्टोरेट रायगढ़ के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक'641/अ–4/91–92, राजस्व प्रकरण क्रमांक 1351/अ–4/91–92 नंदलाल वगैरह, राजस्व प्रकरण क्रमांक 612/अ–4/91–92 केदारनाथ वगैरह, राजस्व प्रकरण क्रमांक 1415/अ–4/91–92 सरस्वती देवी आदि के प्रकरणों की नकल मांगी गई थी। किन्तु जन सूचना अधिकारी के द्वारा उसे केवल राजस्व प्रकरण क्रमांक 641/अ–4/91–92 की जानकारी अभिलेख शुल्क 8/– रुपये (आठ रुपये) जमा कराने के पश्चात् दी गई। शेष प्रकरणों की जानकारी उसे नहीं दी गई, जिसके विरूद्ध उसने प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। दिनांक 17–08–2006 को अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा नजूल अधिकारी को वांछित नकल 07 दिवस के अन्दर दिये जाने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् भी अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय रायगढ़ को नोटिस जारी की गई। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित प्रकरणों की नकल नहीं दी गई तथा 30 दिन के अन्दर वांछित प्रकरण नहीं दिये जाने

का कारण भी नहीं बतलाया गया। जन सूचना अधिकारी श्री संतोष देवांगन के द्वारा 30 दिन के पश्चात् 01 प्रकरण में दी गई जानकारी का अभिलेख शुल्क लिया गया, जो कि नियमानुसार निःशुल्क दिया जाना चाहिये था। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी पर जानबूझकर अभिलेख न देने का आरोप लगाया तथा उन पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अनुरोध किया। प्रतिअपीलार्थी श्री संतोष देवांगन, जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 20–04–2006 को आवेदन–पत्र दिया था। प्रतिअपीलार्थी दिनांक 08–04–2006 से 25–04–2006 तक अवकाश पर था। अवकाश से लौटने के पश्चात् कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–04–2006 से नजूल अधिकारी के पद पर पदस्थ नहीं रहा। कार्य–विभाजन के अनुसार श्री के.के.अग्रवाल तथा इसके पश्चात् श्री एस. एन. राठौर एवं श्री अभय मिश्रा को नजूल अधिकारी बनाया गया। जन सूचना अधिकारी के रूप में उसके द्वारा नजूल अधिकारी को अभिलेख की नकल देने हेतु पत्र भेजे गये, किन्तु नजूल अधिकारी की ओर से उसे अभिलेख प्राप्त नहीं हुये। दिनांक 30–05–2006 को नजूल अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि राजस्व प्रकरण क्रमांक–641/अ–4/91–92 की नकल तैयार है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख शुल्क 8/– रुपये जमा कराने पर उसे जानकारी दी गई। दिनांक 27–10–2006 को नजूल अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी को सूचित किया गया कि वांछित 04 प्रकरणों में से राजस्व प्रकरण क्रमांक–1351/अ–4/91–92 पक्षकार नंदलाल वगैरह का प्रकरण पत्र दिनांक 31–03–1999 को सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल को प्रेषित किया गया है। इसकी जानकारी भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 28–10–2006 के द्वारा आवेदक को दी गई। शेष प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी राम अवतार शर्मा के द्वारा बतलाया गया कि राजस्व विभाग को भेजा गया प्रकरण कमिश्नर के माध्यम से जिला कार्यालय को प्राप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने राजस्व विभाग के द्वारा भेजे गये पत्र की प्रति भी अवलोकित कराई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह बतलाया गया कि इस पत्र के आधार पर पुनः कार्यालय में प्रकरण खोजने का प्रयास किया जावेगा। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि नजूल शाखा के अनेक प्रकरण उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में नजूल शाखा से संबंधित रीडर को उत्तरदायी ठहराकर उसके विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम–1966 के नियम–14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया गया है तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा आरोप–पत्र भी दिया गया है।

4/ अपीलार्थी का यह आरोप कि श्री संतोष देवांगन, जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण उपलब्ध होते हुये भी उन्हें वांछित अभिलेख की प्रति नहीं दी गई सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा नजूल अधिकारी से प्रकरण में वांछित अभिलेखों की प्रति चाही थी। नजूल अधिकारी के द्वारा अभिलेखों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः वे निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दे सके। नजूल अधिकारी के द्वारा दिनांक 30–05–2006 एवं पत्र दिनांक 27–10–2006 के द्वारा जो भी जानकारी उपलब्ध कराई गई, वह अपीलार्थी को दी गई। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अभिलेख उपलब्ध न होने के फलस्वरूप ही जन सूचना अधिकारी के द्वारा

जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। यह अवश्य है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक–641/अ–4/91–92 की जानकारी 30 दिन के पश्चात् उपलब्ध कराई गई है, अतः अपीलार्थी को यह जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार था। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से लिया गया अभिलेख शुल्क अपीलार्थी को वापिस किया जावे।

5/ जहां तक राजस्व प्रकरण क्रमांक–1351/अ–4/91–92 का संबंध है, इस संबंध में प्रकरण पुनः खोजा जावे तथा यदि प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को निःशुल्क प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जावे। शेष प्रकरण चूँकि उपलब्ध नहीं है तथा उनकी उपलब्ध न होने पर संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। प्रकरण में यह अवश्य है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन की सूचना नजूल अधिकारी को देने के पश्चात् भी नजूल अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को निर्धारित अवधि में अभिलेख न होने की जानकारी सूचित नहीं की। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(5) के अंतर्गत नजूल अधिकारी जन सूचना अधिकारी के रूप में जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने के लिये उत्तरदायी हो जाते हैं, अतः तत्कालीन नजूल अधिकारी श्री ए.के.अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर तथा श्री एस.एन.राठौर तत्कालीन नजूल अधिकारी को अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि में उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध न होने की जानकारी न देने के लिये 5,000–5,000/– रुपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे।

6/ अपीलार्थी को वांछित जानकारी की उपलब्धता के संबंध में निर्धारित अवधि में अवगत नहीं कराया गया, जिससे अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, अतः अपीलार्थी को जिला कार्यालय द्वारा 400/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही अभिलेख प्राप्त होते हैं, वांछित प्रतिलिपियाँ नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

7/ उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त